# अनुदान संख्या 87 - ग्रामीण विकास विभाग
# GRANT No. 87 - DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 282562,05,00 | 282562,08,00 | 270044,85,08 | -12517,22,92 |
| पूरक | Supplementary | 3,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 12517,64,40 |
| **पूंजीगतः** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | | 4,14,00 | 3,98,33 | -15,67 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 15,67 |

*टीका और टिप्पणियां*

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹1251764.40 लाख) ₹1251722.92 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹1251764.40 lakhs) exceeded the overall savings of ₹1251722.92 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2216" | Major Head "2216" | | | | |
| आवास | Housing | | | | |
| मू. | O. | 391948.00 | 385017.17 | 385017.19 | +0.02 |
| पु. | R. | -6930.83 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2501" | Major Head "2501" | | | | |
| विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम | Special Programmes for Rural Development | | | | |
| मू. | O. | 312413.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 346686.39 | 346686.38 | -0.01 |
| पु. | R. | 34272.39 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2505" | Major Head "2505" | | | | |
| ग्रामीण रोजगार | Rural Employment | | | | |
| मू. | O. | 14977560.00 | 14989109.98 | 14989151.46 | +41.48 |
| पु. | R. | 11549.98 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2515" | Major Head "2515" | | | | |
| अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | Other Rural Development Programmes | | | | |
| मू. | O. | 24653.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 21538.77 | 21538.78 | +0.01 |
| पु. | R. | -3115.23 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 906240.00 | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -906240.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3054" | Major Head "3054" | | | | |
| सड़कें और सेतु | Roads and Bridges | | | | |
| मू. | O. | 45910.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 1635884.03 | 1635884.04 | +0.01 |
| पु. | R. | 1589973.03 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान<br>Total grant | वास्तविक व्यय<br>Actual expenditure | बचत–<br>Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में)<br>(In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "3601"<br>राज्य सरकारों को<br>सहायता अनुदान | Major Head "3601"<br>Grants-in-aid to<br>State Governments | | | | |
| मू. | O. | 11191637.00 | 9313849.17 | 9313849.16 | -0.01 |
| पु. | R. | -1877787.83 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3602"<br>विधानमंडल वाले<br>संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों<br>को सहायता अनुदान | Major Head "3602"<br>Grants-in-aid to<br>Union Territory Governments<br>with Legislature | | | | |
| मू. | O. | 393157.00 | 299622.26 | 299622.26 | .. |
| पु. | R. | -93534.74 | | | |

(I) ₹924317.50 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेइस शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹923340.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – प्रशिक्षण – राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" – ₹1084.00 लाख;

(ख) "स्व–रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹66142.60 लाख;

(ग) "जिला एवं अन्य सड़कें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना – कार्यक्रम घटक" – ₹185000.00 लाख;

(I) Provision of ₹924317.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2024) remained wholly unutilized under twenty three heads; of these ₹923340.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Other Rural Development Programme - Training - Grants to National Institute of Rural Development" - ₹1084.00 lakhs;

(b) "Self Employment Programme - National Rural Livelihood Mission - Aajeevika - National Rural Livelihood Mission" - ₹66142.60 lakhs;

(c) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Programme Component" - ₹185000.00 lakhs;

(घ) "समाज कल्याण – वृद्ध, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹30500.71 लाख;

(ङ.) "ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना" – ₹303276.00 लाख;

(च) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "इंदिरा आवास योजना" – ₹124151.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹3205.69 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹7317.22 लाख;

(छ) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(i) "इंदिरा आवास योजना" – ₹83276.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹12076.60 लाख; और

(iii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹84810.18 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि के अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(iv) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)" – ₹5000.00 लाख त्रिपुरा राज्य से कम मांग होने के कारण।

(d) "Social Welfare - Welfare of aged, infirm and destitute - National Social Assistance Programme" - ₹30500.71 lakhs;

(e) "Rural Housing - Indira Awaas Yojana - Indira Awaas Yojana" - ₹303276.00 lakhs;

(f) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Indira Awaas Yojana" - ₹124151.00 lakhs;

(ii) "National Social Assistance Programme" - ₹3205.69 lakhs;

(iii) "National Rural Livelihood Mission" - ₹7317.22 lakhs;

(g) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Indira Awaas Yojana" - ₹83276.00 lakhs;

(ii) "National Social Assistance Programme" - ₹12076.60 lakhs; and

(iii) " National Rural Livelihood Mission"- ₹84810.18 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iv) "Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojana)" - ₹5000.00 lakhs - due to less demand form State of Tripura.

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्र प्रायोजित योजनाएं – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना – ग्रामीण” – ₹17500.00 लाख संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर से कम मांग के कारण।

(B) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Awas Yojana - Rural” - ₹17500.00 lakhs - due to less demand from UT of J&K.

(II) मुख्य शीर्ष “2216” – “ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना – इंदिरा आवास योजना – कार्यक्रम घटक” के अंतर्गत ₹6439.31 लाख की बचत (₹390945.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एजेंसियों और बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कम यात्रा व्यय और नाबार्ड को ब्याज का भुगतान न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head “2216” - “Rural Housing - Indira Awaas Yojana - Indira Awaas Yojana - Programme Component” - saving of ₹6439.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹390945.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from agencies and UTs without legislature, less travelling expenditure and non-payment of interest to NABARD.

(III) मुख्य शीर्ष “2501” – “स्वरोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head “2501” - “Self Employment Programmes - National Rural Livelihood Mission” - savings occurred under the following heads:-

(का) “आजीविका – ईएपी घटक” – ₹961.73 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एनआरईटीपी) के तहत विशेष परियोजनाओं और एनआरओ भुगतानों संबंधी कम प्रस्तावों की प्राप्ति और कम संख्या में प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(A) “Aajeevika - EAP Component” - saving of ₹961.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards special projects and NRO payments under The National Rural Economic Transformation Project (NRETP) and conducting of less number of training/ workshop.

(खा) “प्रबंधन सहायता” – ₹6508.11 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10901.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डीडीयू–जीकेवाई योजनाओं के तहत राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और कम संख्या में प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(B) “Management Support” - saving of ₹6508.11 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10901.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024) was due to receipt of less proposals from states under DDU-GKY Schemes and conducting of less number of training/workshop.

(IV) मुख्य शीर्ष “2505” – “ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head “2505” - “Rural Employment Guarantee Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(का) “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना” –

(A) “National Rural Employment Guarantee Scheme” -

(क) "जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता" – ₹196176.92 लाख की बचत (₹4203000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मनरेगा योजना के मांग आधारित होने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others" - saving of ₹196176.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4203000.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from States/UTs owing to MGNREGA scheme being demand driven.

(ख) "सूचना, शिक्षा और संचार" – ₹1518.26 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(b) "Information, Education and Communication" - saving of ₹1518.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs);

(ग) "क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता" – ₹13737.85 लाख की बचत (₹19600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Capacity Building & Technical Support" - saving of ₹13737.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19600.00 lakhs); and

(घ) "मजदूरी संवितरण के लिए सेवा शुल्क" – ₹2020.46 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) "Service Charges for Wage Disbursement" - saving of ₹2020.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs).

बचत उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कम प्रस्ताव प्राप्त/प्राप्त न होने तथा व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to less/non-receipt of proposals and slow pace of expenditure.

(खा) "आरक्षित निधियों में अंतरण – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि में अंतरण" – ₹16123.66 लाख की बचत (₹8600000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मनरेगा योजना के मांग आधारित होने की वजह से राज्यों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Rural Employment Guarantee Fund" - saving of ₹16123.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8600000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by States owing to MGNREGA scheme being demand driven.

(V) मुख्य शीर्ष "2515" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(V) Under Major Head "2515" - savings occurred under the following heads:-

(का) "प्रशिक्षण – राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान" – ₹1656.55 लाख की बचत (₹9753.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थानों से कम मांग होने के कारण हुई।

(A) "Training - Grants to National Institute of Rural Development" - saving of ₹1656.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9753.00 lakhs) was due to less demand raised by State Institute of Rural Development Training Institutions.

(खा) “अन्य व्यय – ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़करण” – ₹1505.77 लाख की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14525.78 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों (एसआईआरडी/ईटीसी) से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, आईटी उपकरणों की एएमसी को अंतिम रूप न दिए जाने और चरण II की कम नियमित निगरानी के संचालन के कारण हुई।

(B) “Other Expenditure - Management Support to Rural Development Programmes and Strengthening District Planning Process” - saving of ₹1505.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14525.78 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh obtained in December, 2024) was due to receipt of less proposals from institutions (SIRDs/ETCs), non-finalization of AMC of IT equipment and conduction of less regular monitoring of Phase II.

(VI) मुख्य शीर्ष “3054” – “जिला एवं अन्य सड़कें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(VI) Under Major Head “3054” - “District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana” - savings occurred under the following heads :-

(का) “राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी को सहायता” – ₹2390.93 लाख की बचत (₹6538.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्थगन, एनक्यूएमएस द्वारा अनुसंधान संबंधी प्रस्तावों का कम निरीक्षण किए जाने और प्रतिनियुक्ति के आधार पर रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(A) “Assistance to National Rural Roads Development Agency” - saving of ₹2390.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6538.00 lakhs) was due to deferment of training programmes, less research proposals inspection conducted by NQMS and non-filling up of vacant post on deputation basis.

(खा) “प्रबंधन प्रकोष्ठ” – ₹2332.34 लाख की बचत (₹2575.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम यात्रा दावों की प्राप्ति और केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(B) “Management Cell” - saving of ₹2332.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2575.00 lakhs) was due to receipt of less travels claims and less utilization of funds by Central Bureau of Communication (CBC).

(गा) “बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय” – ₹5301.69 लाख की बचत (₹16688.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता की वजह से निविदाओं के कम आवंटन किए जाने और एसएनए स्पर्श के तहत निधि जारी करने की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(C) “Expenditure in Union Territories without Legislature” - saving of ₹5301.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16688.00 lakhs) was due to less award of tenders owing to Model code of Conduct imposed for General Election 2024 and slow pace of release of fund under SNA SPARSH.

(VII) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(VII) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(का) “केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” –

(A) “Central Assistance/Share” -

(क) “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” – ₹655965.05 लाख की बचत (₹2171019.00 लाख

(a) “Pradhan Mantri Awaas Yojana-Rural” - saving of ₹655965.05 lakhs (against the

के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

sanctioned provision of ₹2171019.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ख) "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना" – ₹44219.94 लाख की बचत (₹2197390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्तावों की प्राप्ति और व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(b) "Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme" - saving of ₹44219.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2197390.00 lakhs) was due to receipt of less proposals and slow pace of expenditure.

(ग) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹157201.03 लाख की बचत (₹1339198.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आम चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के कारण पीएमजीएसवाई–III कार्यों की मंजूरी में देरी और लंबित वन मंजूरी और कानून एवं व्यवस्था के मुद्दों की वजह से ग्रामीण संपर्क परियोजना के तहत सड़कों और पुलों के निर्माण में देरी के कारण हुई।

(c) "Pardhan Mantri Gram Sadak Yojana" - saving of ₹157201.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1339198.00 lakhs) was due to delay in sanctioning of PMGSY-III works owing to model code of conduct for General Elections 2024 and delay in construction of roads and bridges under Rural Connectivity project, pending forest clearance and law & order issues.

(खा) "बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹810.30 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना के बंद होने की वजह से राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹810.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the States owing to closure of the scheme.

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹507881.82 लाख की बचत (₹1152481.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Awaas Yojana-Rural" - saving of ₹507881.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1152481.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(D) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹161005.53 लाख की बचत (₹195000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यों की मंजूरी में देरी, आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभा चुनावों के

(a) "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - saving of ₹161005.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹195000.00 lakhs) was due to delay in sanctioning of works,

कारण आदर्श आचार संहिता की वजह से पीएम–जनमन के तहत राज्यों से कम निधियों की मांग होने के कारण हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹494762.74 लाख की बचत (₹1153862.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹8087.24 लाख की बचत (₹16234.83 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" – ₹44675.00 लाख की बचत (₹150000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा को अंतिम रूप देने में देरी और आम चुनाव 2024 की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹16628.00 लाख की बचत (₹40250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप –योजना" –

(क) "प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण" – ₹6985.25 लाख की बचत (₹12251.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

less demand of funds from States under PM-JANMAN owing to the model code of conduct on account of General Elections 2024 and States Assembly elections.

(b) "Pradhan Mantri Awaas Yojana-Rural" - saving of ₹494762.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1153862.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VIII) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Assistance/Share" -

(a) "National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹8087.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16234.83 lakhs) was due to receipt of less proposals from UTs.

(b) "Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" - saving of ₹44675.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150000.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to delay in finalization of tender and imposition of model code of conduct on account of General Elections 2024.

(c) "Pradhan Mantri Awas Yojana - Rural" - saving of ₹16628.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40250.00 lakhs); and

(B) "Tribal Area Sub-Plan"-

(a) "Pradhan Mantri Awas Yojana - Rural" - saving of ₹6985.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12251.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹1341.73 लाख की बचत (₹2652.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पास अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने और एकीकृत फार्म कंसल्टेंसी की डीपीआर रिपोर्ट की प्राप्ति में देरी होने के कारण हुई।

(IX) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹753.09 लाख की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 50 प्रतिशत और 98 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹1599999.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला और अन्य सड़कें – आरक्षित निधि/जमा खाते में अंतरण – कृषि अवसंरचना और विकास निधि में अंतरण" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष "2501" – "स्वरोजगार कार्यक्रम" –

(क) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन – आजीविका – कार्यक्रम घटक" – ₹14419.40 लाख का अधिक व्यय (₹24590.84 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹10226.61 लाख का अधिक व्यय (₹185643.07 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

Savings under the above two heads were due to less demand received from UT of J&K.

(b) "National Rural Livelihood Mission" - saving of ₹1341.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2652.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the UTs and availability of unspent balance with UTs and delay in receipt of DPR report of Integrated Farm Consultancy.

(IX) Under two heads savings of ₹753.09 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 50 percent and 98 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹1599999.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtained token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2024 under Major Head "3054" - "District and Other Roads - Transfer to Reserve Fund/Deposit Account - Transfer to Agriculture Infrastructure and Development Fund".

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) "Major Head "2501" - "Self Employment Programmes" -

(a) "National Rural Livelihood Mission - Aajeevika - Programme Component" - excess of ₹14419.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24590.84 lakhs);

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Aajeevika - National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹10226.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹185643.07 lakhs); and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” – ₹17296.21 लाख का अधिक व्यय (₹89079.09 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय ब्याज अनुदान योजना के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष “2505” – “ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएँ” –

(क) “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय” – ₹1174.07 लाख का अधिक व्यय (₹2505.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता” – ₹81884.31 लाख का अधिक व्यय (₹1100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला कार्यक्रम समन्वयकों और अन्य को सहायता” – ₹158520.72 लाख का अधिक व्यय (₹1000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मनरेगा के अंतर्गत लंबित देनदारियों के निपटान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ” –

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Aajeevika - National Rural Livelihood Mission” - excess of ₹17296.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹89079.09 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds towards Interest Subvention Scheme and re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) “Major Head “2505” - “Rural Employment Guarantee Schemes” -

(a) “National Rural Employment Guarantee Scheme - Expenditure in Union Territories without Legislature” - excess of ₹1174.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2505.00 lakhs);

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others” - excess of ₹81884.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100000.00 lakhs); and

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Assistance to District Rural Development Agencies/ District Programme Coordinators and Others” - excess of ₹158520.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000000.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities under MGNREGA.

(C) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” -

(क) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(i) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹22293.86 लाख का अधिक व्यय (₹707180.83 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रामीण गरीब अभ्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं / स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ; और

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹28718.92 लाख का अधिक व्यय (₹642739.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक कार्यक्रम" –

(i) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹2828.78 लाख का अधिक व्यय (₹169744.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ और

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय लंबित देनदारियों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं / स्कीमों के उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹2600.66 लाख का अधिक व्यय (₹179843.36 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹22293.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹707180.83 lakhs) was due to requirement of additional funds towards training of rural poor candidates and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "National Social Assistance Programme" - excess of ₹28718.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹642739.00 lakhs); and

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "National Social Assistance Programme" - excess of ₹2828.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹169744.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation of projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹2600.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹179843.36 lakhs); and

(c) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" – ₹75654.40 लाख का अधिक व्यय (₹104212.81 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹11961.95 लाख का अधिक व्यय (₹91376.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित देयताओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियां का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम" – ₹2009.34 लाख का अधिक व्यय (₹11975.68 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित देनदारियों के निपटान हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. ***राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधिः-***

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा की गई थी। इसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और ऐसी शर्तों व सीमाओं के तहत किया जाएगा। इस निधि में अनुदान या ऋण के रूप में संसद द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा समुचित विनियोजन के पश्चात उतनी निधियों जमा की जाती हैं जितनी केंद्र सरकार आवश्यक समझे।

(i) "National Rural Livelihood Mission" - excess of ₹75654.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹104212.81 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "National Social Assistance Programme" - excess of ₹11961.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹91376.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(D) "Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - National Social Assistance Programme" - excess of ₹2009.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11975.68 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities.

3. ***National Rural Employment Guarantee Fund:-***

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilized in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

*वर्ष 2024–25 के लिए निधि का लेखा–जोखा इस प्रकार था:–*

*The Accounts of the Fund for 2024-25 was as follows:-*

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | |
|---|---|---|
| अथ शेष | Opening Balance | -3 |
| प्राप्तियां | Receipts | 85838,76,34 |
| अदायगियां | Payments | 85838,76,34 |
| अंतशेष | Closing Balance | -3 |